



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266258
CG-DL-E-19092025-266258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 610]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

नियमावली

सा.का.नि. 687(अ).— संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 2021 हेतु आयोजित की जाने वाली सम्मिलित आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड- 'I') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम, नीचे उल्लिखित सेवाओं के आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड-I) के लिए चयन सूचियों में जोड़ने के लिए, संबंधित मंत्रालयों की सहमति से, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

श्रेणी IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

श्रेणी V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

श्रेणी VI

सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव

श्रेणी VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'/निजी सचिव ग्रेड

श्रेणी IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड/सेवा हेतु चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों का अंतिम चयन और परिणामों की घोषणा, अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्था.(आरक्षण) के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाएगी जो निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी:-

- i. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 629 (एसएलपी (सी) सं. 30621/2011 से उत्पन्न) और उससे संबंधित मामले (जरनैल सिंह बैच के मामले);
- ii. संबंधित मामले में कोई अन्य मामले।

2. यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित तरीके के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के आयोजन की तारीख और स्थान का निर्धारण, आयोग द्वारा किया जाएगा और आयोग द्वारा पृथक् रूप से सूचित किया जाएगा।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जैसा कि नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, वे कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा की संबंधित श्रेणी के लिए परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि

01 जुलाई, 2019	2019 की परीक्षा के लिए
01 जुलाई, 2020	2020 की परीक्षा के लिए
01 जुलाई, 2021	2021 की परीक्षा के लिए

टिप्पण: 1. वर्ष 2019 की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार (उम्मीदवारों), वर्ष 2020 और वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए भी पात्र होंगे और वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार (उम्मीदवारों), वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु भी पात्र होंगे जो कि सभी अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी और वशर्त कि उम्मीदवार इस प्रकार विचार करने हेतु विशेष रूप से यह विकल्प चुने।

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक	निर्णायक तिथि को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो तथा निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो:-	श्रेणी IV

	(i) सेवा काल: उसने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा की हो। बशर्ते यदि उसे प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भी शामिल है, के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक के लिए नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व आयोजित की गई होनी चाहिए और उसने उस श्रेणी में कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा की हो। (ii) ऐसा वैयक्तिक सहायक, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति पर काडर बाह्य पदों पर है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र है। बशर्ते ऐसा वैयक्तिक सहायक जिसमें काडर बाह्य या अंतरण पर किसी अन्य सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और जिसका वैयक्तिक सहायक के लिए धारणाधिकार (लियन) नहीं है, परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा। तथापि, वरिष्ठता कोटा (एसक्यू)/सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) कोटा के माध्यम से नियुक्त वैयक्तिक सहायकों को पात्रता शर्तों में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाती है:- क) चयन सूची वर्ष- 2016, 2017 और 2018 के लिए वरिष्ठता कोटा से संबंधित वैयक्तिक सहायकों के संबंध में पीए ग्रेड में निरंतर सेवा में 1 वर्ष और 6 महीने तक की छूट ख) चयन सूची वर्ष 2016 के एलडीसीई कोटा के पीए को पीएस एलडीसीई वर्ष 2019-2021 में भाग लेने के लिए, निरंतर सेवा में 02 माह की छूट तथा पीए एलडीसीई परीक्षा की तिथि से निर्णायक तिथि के अंतराल में 02 दिनों की छूट दी जाती है	
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड	आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित सेवा 5 वर्ष से कम न हो तथा उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूरा किया होना चाहिए, जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों। पीएस एलडीसीई 2021 में उपस्थित होने के लिए (मंत्रालय के	श्रेणी V

	दिनांक 06.10.2023 के आदेश सं. क्यू/सीएडी/611/02/2023 के अनुसार) वर्ष 2015 बैच के पीए को पांच वर्षों की अनुमोदित सेवा में एक (01) वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों की चयन सूची में उम्मीदवारों का समावेशन, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में भर्ती/वरिष्ठता को प्रभावित करने वाले किसी भी न्यायिक निर्देश/निर्णय के अधीन होगा।	
सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा निरंतर सेवा 3 वर्ष से कम न हो। बशर्ते कि यदि उसे किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर सेवा के ग्रेड-ग में नियुक्त किया गया था, तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले आयोजित की गई हो और उसने निर्णायक तारीख को उस ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित एवं निरंतर सेवा की हो।	श्रेणी VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'/वैयक्तिक सहायक ग्रेड	चयन सूची वर्ष 2019 और 2020 के लिए: (i) सेवा की अवधि: रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग'/वैयक्तिक सहायक में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो। “बशर्ते कि यदि उसे किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-‘ग’ में नियुक्त किया गया था, तो ऐसी परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि से कम से कम पांच वर्ष पहले घोषित किया गया हो और उसने उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की अनुमोदित एवं निरंतर सेवा की हो।” तथापि, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2014 के माध्यम से पदोन्नत वैयक्तिक सहायक के मामले में परिणाम की तिथि और पात्रता की निर्णायक तिथि के बीच अपेक्षित पांच वर्ष के अंतराल के लिए दो महीने की सीमा तक छूट प्रदान की जाती है ताकि वे वर्ष 2019 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हो सकें। इसके अतिरिक्त, आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2015 के माध्यम से पदोन्नत वैयक्तिक सहायकों को परिणाम की तिथि और पात्रता की निर्णायक तिथि के बीच अपेक्षित पांच	श्रेणी VII

	वर्षों के अंतराल में 11 महीनों की छूट दी जाती है ताकि वे वर्ष 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हो सकें। (ii) ग्रेड-ग अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति पर बाह्य काडर पदों पर हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे, यदि वे अन्यथा पात्र हैं। बशर्ते कि यह ग्रेड 'ग' के उस अधिकारी पर लागू नहीं होगा जिसे किसी संवर्ग-बाह्य पद पर या "स्थानान्तरण" पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और ग्रेड-ग पर धारणाधिकार (लियन) न हो। चयन सूची वर्ष 2021 के लिए: (i) सेवा की अवधि: वैयक्तिक सहायक ग्रेड में कम से कम 3 वर्षों की अनुमोदित और निरंतर सेवा हो तथा निर्णायक तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक हो। बशर्ते कि यदि उसे रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवाओं के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, के परिणाम के आधार पर नियुक्त किया गया था, तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तिथि से कम से कम तीन वर्ष पहले आयोजित की गई हो और निर्णायक तिथि तक उसने उस ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा की हो। (ii) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वैयक्तिक सहायक, यदि अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होंगे: बशर्ते कि वह वैयक्तिक सहायक, जिसे संवर्ग-बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर नियुक्त किया गया हो और जिसका वैयक्तिक सहायक ग्रेड में धारणाधिकार (लियन) न हो, वह परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा निरंतर सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	श्रेणी IX

नोट 1. ऊपर के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

तथापि, यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें उनके संबंधित ग्रेड तथा सेवाओं संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर कॉलम 1 (श्रेणी-VII को छोड़कर) में

उल्लिखित उनके संबंधित ग्रेडों तथा सेवाओं में नियुक्त किया गया हो (चाहे वे कोई धारणाधिकार (लियन) रखते हों या नहीं)।

श्रेणी IV के संबंध में, यदि कोई अधिकारी तकनीकी त्यागपत्र देता है और धारणाधिकार (लियन) की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करता है, तो अपना तकनीकी त्यागपत्र देने के बाद जिस विभाग में उसने कार्यभार ग्रहण किया था, वहाँ बिताई गई अवधि को पीएस एलडीसीई में उपस्थित होने के लिए अर्हक सेवा में नहीं गिना जाएगा।

नोट 2: केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ऐसे आशुलिपिक, जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'बी' में प्रतिनियुक्ति पर हैं, श्रेणी V की परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 3: सभी उम्मीदवार, जो निर्णायक तिथि तक ऊपर दी गई अपेक्षित पात्रता पूरी करने की अपेक्षा रखते हैं, वे परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की अधिसूचना और आयोग द्वारा परीक्षा की सूचना के प्रकाशन के पश्चात, उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ) भरना होगा और उसकी हार्ड कॉपी, उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का संबंधित संवर्ग इकाई द्वारा उसके सेवा रिकॉर्ड से विधिवत सत्यापन/प्रमाणन के पश्चात, उचित माध्यम से संबंधित प्रतिभागी सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने और पात्र उम्मीदवार के आवेदन को आयोग को अग्रेषित करने के लिए भेजी जाएगी। किसी उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने हेतु आवेदन की संवीक्षा, इन नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों के संदर्भ में, संबंधित प्रतिभागी सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

5. नियम 4 में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकार करने या न करने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिए दोषी घोषित है या किया गया है:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामतः

(क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) प्रतिरूपण, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य करवाना है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, जिनमें तथ्यों से छेड़-छाड़ की गई हो, अथवा

(v) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना है, अथवा

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामतः:

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; अथवा

(viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना या प्रयोग किया जाना; अथवा

(ix) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर भद्दी बातें या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री लिखना; अथवा

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(xi) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना हो; अथवा

(xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या उसके पास पाया जाना; अथवा

(xiii) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों में से किसी का भी उल्लंघन करना; अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न करना, तो वह आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाने के साथ-साथ, निम्न हेतु उत्तरदायी होगा:-

(क) आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा, जिसमें वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराना और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

(ग) उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए।

8. कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिली-भगत का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

9. (i) परीक्षा के उपरांत, निजी सचिव ग्रेड में, उम्मीदवारों को तीन वर्षों अर्थात् 2019, 2020 और 2021 हेतु उनकी पात्रता के अध्यधीन इनमें से किसी भी वर्ष की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और आयोग द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र/भाग हेतु अर्हक मानकों के अध्यधीन प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम तौर पर दिए गए कुल अंकों के माध्यम से यथासूचित योग्यता क्रम में आयोग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। तथापि यदि श्रेणी IV, V और VII में किसी भी वर्ष (अर्थात् 2019, 2020 और 2021) में रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं, तो उन्हें अगले वर्ष में अग्रणीत करने के लिए परीक्षा के परिणाम पृथक रूप से घोषित किए जाएंगे।

संबंधित चयन सूची में शामिल करने के लिए वर्षवार और श्रेणीवार मेरिट सूचियाँ, रिक्तियों की संख्या और उम्मीदवार द्वारा दर्शाई गई योग्यता और विकल्प (वर्ष और श्रेणी की वरीयता, जैसा भी लागू हो) तथा अन्य सभी पात्रता शर्तों की पूर्ति पर आधारित होंगी। आयोग परीक्षा के किसी भी या सभी चरणों या प्रश्न-पत्रों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक विचाराधीन वर्षों में समग्र योग्यता/अंकों के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेगा, तो उसे रिक्ति की स्थिति और अन्य पात्रता शर्तों के अध्यधीन एवं उसकी मेरिट के आधार पर उपयुक्त चयन सूची वर्ष में रखा जाएगा। यदि किसी वर्ष विशेष हेतु चयन सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल किया जाता है तो अन्य सूची (सूचियों) में उसके नाम को शामिल करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

श्रेणी IV, V, VII और IX में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी वर्ष (2019, 2020 और 2021) में रिक्तियाँ भरी न जाने की स्थिति में अगले रिक्ति वर्ष में अग्रणीत कर दी जाएँगी। यह प्रावधान श्रेणी VI पर लागू नहीं होगा। श्रेणी IV के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मामले में, सीएसएसएस नियम, 2010 के नियम 10(1) के परंतुक के अनुसार खाली रिक्तियों को अग्रणीत किया जाएगा। श्रेणी V के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मामले में, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ, जो चयनित योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष में रिक्त रह गई हों, अगली परीक्षा में अग्रणीत की जाएँगी।

(ii) प्रत्येक श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन 36012/16/2019-स्था.(आर.) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक श्रेणी के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्णय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के का.ज्ञा. 36012/01/2020-स्था.(आरक्षण-II) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

(iv) परिणाम निम्नलिखित विधियों के आधार पर तैयार किया जाता है:

(क) पूर्णांकन अंक:

उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को परीक्षा के सभी चरणों में, जहाँ भी लागू हो, मानक पूर्णांकन सिद्धांत को लागू करते हुए, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, सभी टाई संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई ब्रेकिंग सिद्धांत:

क) यदि कुल (अंतिम अंक) अंक समान हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी;

(ख) यदि उपर्युक्त (क) में अंक समान हैं, तो "प्रश्नपत्र -II: भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया की पद्धति और सेवाओं की संगत श्रेणियों की अपेक्षा को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय और सेवा नियम" और "प्रश्नपत्र -III: टिप्पण और प्रारूपण, सार लेखन" को मिलाकर अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी;

ग) यदि उपर्युक्त (क) और (ख) के अंक भी समान हैं, तो "प्रश्नपत्र III, अर्थात्, टिप्पण और प्रारूपण, सार लेखन" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्च रैंक दी जाएगी;

घ) यदि उपर्युक्त (क), (ख), (ग) के अंक भी समान हैं, तो कम आयु वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दी जाएगी; तथा

ङ) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के बाद भी समान स्थिति (टाई) बनी रहती है, इसे आयोग के विवेकानुसार हल किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना के रूप और रीति का निर्णय, आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार यथावश्यक समझी गई ऐसी जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार का सेवा में आचरण देखते हुए वह चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है:

बशर्ते कि आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके लिया जाएगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' आशुलिपिक संवर्ग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा 'स्थानान्तरण' पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है (चाहे उसके पास धारणाधिकार (लियन) है अथवा नहीं), तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

तथापि, यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती है, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

[फा. सं. 4/1/2024/सीएस-II (क)]

जे अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :-

भाग I

- (क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।
 (ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपि परीक्षा।

नोट 1 – प्रतिभागी श्रेणियों हेतु प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा यथानिर्धारित समय पर अर्हक आशुलिपि परीक्षा में शामिल होना होगा। तथापि, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपि परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं।

नोट 2 – उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र (नई दिल्ली) पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण (ट्रांसक्राइब) करना होगा।

भाग II

उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिकतम अंक 100 होंगे:-

- (i) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से यथानिर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं।

नोट I: सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन (अर्थात् अपनी बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुई अधिकारियों की एपीएआर) में अर्जित अंकों की गणना, रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का एक बार मूल्यांकन किए जाने के उपरांत, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में किसी परिवर्तन सहित किसी भी परिस्थिति में बाद में किसी भी तारीख को इसके पुनः मूल्यांकन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट II: सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा रिकार्ड के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नामों पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा की विभिन्न श्रेणियों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा:-

प्रश्न पत्र सं.	विषय	प्रश्न पत्र का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की पद्धति और प्रक्रिया की सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और पद्धति तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की अपेक्षा को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे

3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विषयपरक	200	3 घंटे
	सेवा रिकॉर्डों का मूल्यांकन		100	
	कुल अंक		600	

3. गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी (ऋणात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंकों में से पेनल्टी के रूप में एक तिहाई अंकों की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तरों में से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त के समान पेनल्टी होगी।

(iii) यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन प्रश्न-पत्र के उत्तर, हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। तीनों प्रश्नपत्र/परीक्षा पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी, दोनों में होंगी।

नोट 1:- टिप्पण एवं प्रारूपण तथा सार लेखन प्रश्न-पत्र के उत्तर हिंदी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी इस इच्छा का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में करना चाहिए; अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिंदी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिंदी की शब्दावली के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय, यदि कोई हो, भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

नोट 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिंदी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल होगा, जिसे उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतरण (ट्रांसक्राइब) करना होगा।

7. (i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दृष्टिहीन, (लोकोमोटर) दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को स्क्राइब की सुविधा, मांग किए जाने पर प्रदान की जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगताओं की अन्य

श्रेणियों वाले व्यक्तियों को संलग्नक-I पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को संलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा इनके परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है, प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। ऑनलाइन आवेदन करते समय संलग्नक-II (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% या अधिक है) तथा संलग्नक-IV (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है एवं लिखने में कठिनाई होती है) के प्रपत्र के अनुसार स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो उस स्क्राइब का विवरण मांगा जाएगा।

(iii) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता, परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु बीस (20) मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को संलग्नक-I में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, किसी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को संलग्नक-III पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा आती है, प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(v) पात्र उम्मीदवार को स्क्राइब की सुविधा और/अथवा प्रतिपूरक समय उनके द्वारा मांग किए जाने पर केवल लिखित परीक्षा के लिए ही प्रदान किया जाएगा।

नोट (1): किसी स्क्राइब की पात्रता की शर्तें तथा परीक्षा हॉल के अंदर स्क्राइब का आचरण तथा आशुलिपिक (समूह ख/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की सहायता कर सकने की रीति और सीमा का नियमन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इनमें से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ स्क्राइब के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

नोट (2): दृष्टि बाधा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

आंख और बेहतर करना	आंख उत्तम तरीके से ठीक करना	दिव्यांगता प्रतिशत	दिव्यांगता श्रेणी
1	2	3	4
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से कम से लेकर 3/60 तक	20%	I
	3/60 से कम कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आंख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा निर्धारण (फिक्सेशन) के केन्द्र के चारों तरफ दृश्य क्षेत्र 40 से कम से लेकर 20 डिग्री तक अथवा मैक्युला सहित होमिनाओपिया	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से कम से लेकर 3/60 तक	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से लेकर कोई प्रकाश अवबोधन नहीं तक	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से कम से लेकर 3/60 तक अथवा निर्धारण (फिक्सेशन) के केन्द्र के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम से लेकर 10 डिग्री तक	6/60 से कम से लेकर 3/60 तक	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से लेकर कोई प्रकाश अवबोधन नहीं तक	80%	III ङ. (अल्प दृष्टि)
3/60 से कम से लेकर 1/60 तक अथवा निर्धारण केन्द्र के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से लेकर कोई प्रकाश अवबोधन नहीं तक	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन, कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन, कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

नोट (3): दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली रियायत, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के विषयपरक प्रश्न-पत्र में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

12. उम्मीदवार को प्रश्न-पत्र-III का उत्तर लिखते समय, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

संलग्नक-1**परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक अक्षमता दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती.....
 (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो (दिव्यांगता
 प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त है, पुत्र/पुत्री
, निवासी
 (ग्राम/जिला/राज्य), की जांच की है, और यह उल्लेख करता हूं कि इनकी दिव्यांगता के कारण इनकी शारीरिक क्षमता सीमित है, जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर
 मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान का
 चिकित्सा अधीक्षक

नोट: प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (उदाहरण दृष्टि बाधित-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता-अस्थिरोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

संलग्नक-11**स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन का पत्र
 (उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)**

मैं, (दिव्यांगता का नाम) से ग्रस्त एक उम्मीदवार हूं, जो
 (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक संख्या, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला
, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी योग्यता है।

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की तरफ से
 (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्वारा परिवचन देता हूं कि इस संबंध में इनकी योग्यता.....है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि इनकी योग्यता वह नहीं है जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित की गई है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं इस पद और इससे संबंधित दावों के प्रति अपने अधिकार खो दूंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

संलग्नक-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री , निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।
3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
अस्थिरोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्युकएटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथानामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक:

संलग्नक-IV

विशिष्ट दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध-पत्र, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं

मैं (दिव्यांगता स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त एक उम्मीदवार हूं, और (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक संख्या, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा यह उल्लेख करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा तत्संबंधी संबद्ध दावों के प्रति अपना अधिकार खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तिथि तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

प्रश्न पत्र - I

प्रश्न पत्र में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों को पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार की समसामयिक घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता को जांचने के लिए तैयार किया जाएगा।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

- (i) भारतीय संविधान के सिद्धांत
- (ii) लोक सभा और राज्य सभा की कार्यप्रणाली और कार्य-संचालन के नियम।
- (iii) भारत सरकार के कार्यतंत्र का संगठन, मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच विषयों को नामोद्दिष्ट करना और आबंटन करना तथा उनके बीच परस्पर संबंध।
- (iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रश्न पत्र - II

इस प्रश्न-पत्र का उद्देश्य, भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधियों तथा कार्य प्रणाली की गहन तथा विस्तृत परीक्षा लेना है। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावलियों अर्थात् आचरण नियमावली, छुट्टी नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। संदर्भ पुस्तिकाओं की निम्नलिखित सूची (तथापि जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है:

(श्रेणी IV और IX के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज हेतु हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल श्रेणी IV के लिए)
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली
9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत)
10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली

(श्रेणी V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति के संबंध में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली।
7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत)।
8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली।
9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली।
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियां।
11. सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजनाएं।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली।

(श्रेणी VI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नवीनतम संस्करण)।
2. कार्यालय पद्धति के संबंध में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)।
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली।
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली।
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली।
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली।
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)।

(श्रेणी VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका।
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका।
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)।
4. भारतीय रेल वित्तीय संहिता खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)।
5. भारतीय रेल स्थापना संहिता खंड-I
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

प्रश्न पत्र - III

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं के संबंध में टिप्पण और प्रारूपण तथा अवतरण से सार तैयार करें।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

RULES

G.S.R. 687(E).— The rules for the Combined Stenographers' (Grade B'/ Grade- 'I') Limited Departmental Competitive Examination for the years 2019, 2020 and 2021 to be held by the Union Public Service Commission, for additions in the Select Lists for the Stenographers' (Grade 'B'/Grade-I) of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

Category IV

Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category VI

Private Secretary of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade 'B'/Private Secretary Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category IX

Private Secretary Grade in Employees' State Insurance Corporation

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade/service will be specified in the Notice issued by the Commission. Final Selection of the candidates under different categories shall be decided and results will be declared inter alia based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 36012/16/2019-Estt (Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the following court cases:-

- I. Civil Appeal No. 629 of 2022 (arising out of SLP (C) NO. 30621/2011) in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters (Jarnail Singh batch of cases);
- II. Any other cases in the connected matter.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission and informed separately by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grade and Services mentioned in column 1 below who on the crucial date of eligibility (as mentioned below) satisfy the conditions regarding length of service and educational qualification etc. mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the respective categories of service mentioned in column 3.

Crucial dates of eligibility

1 st July, 2019	for 2019 Examination
1 st July, 2020	for 2020 Examination
1 st July, 2021	for 2021 Examination

Note: 1. Candidate(s) eligible for 2019 Examination are also eligible for 2020 and 2021 Examination and Candidate(s) eligible for 2020 Examination are also eligible for 2021 Examination subject to fulfilment of all other eligibility conditions and provided candidate specifically opts to be so considered.

Column 1	Column 2	Column 3
Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service	Possession of bachelors degree from a recognized University on the crucial date and fulfilment of following eligibility conditions:- i. Length of Service: He/she should have rendered not less than three years' of approved and continuous service in the grade mentioned in Column 1: Provided that if he/she had been appointed to the Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service on the results of the competitive examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than three years before the crucial date and he/she should have rendered not less than two years approved and continuous service in that grade. ii. Personal Assistants who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible: Provided that the Personal Assistant who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in Personal Assistant shall not be eligible to be	Category IV

	admitted to the examination. However, following relaxations in eligibility conditions are granted to Personal Assistants appointed through Seniority Quota (SQ) / Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) Quota:- - Relaxation in continuous service in PA Grade upto 1 year and 6 months in respect of PAs belonging to SQ for SLY-2016, 2017 and 2018. - Relaxation in continuous service of 02 months and 02 days shortfall in duration between conduct of LDCE examination and the crucial date of eligibility in respect of PAs belonging to LDCE Quota for the SLY 2016.	
Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'	Not less than 5 years approved service in the Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre and shall possess a Bachelor Degree of a recognized University. Further, candidates should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs. Relaxation of one (01) year in the 5 years approved service is granted to PAs of 2015 batch for appearing in PS LDCE 2021 (as per Ministry Order No. Q/CAD/611/02/2023 dated 06.10.2023) Further, the inclusion of candidates in the select list of respective years will be subject to any judicial directive/judgement having a bearing upon the recruitment/seniority in the Private Secretary Grade of the Stenographers Cadre of IFS Branch 'B'.	Category V
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographer's service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service. Provided that if he/she had been appointed to Grade C of the service on the result of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 3 years before the crucial date and he/she should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.	Category VI
Grade C/Personal Assistants Grade of the Railway Board Secretariat Stenographer's Service	For Select List Year 2019 and 2020: Length of Service: Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/ Grade C /Personal Assistant of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service. "Provided that if he/she had been appointed to Grade 'C' of Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, the results of such examination should have been announced not less than five years before the crucial date and he/she should have rendered not less than four years approved and continuous service in the grade." However, relaxation to the extent of 2 months to the requisite 5 years gap between the date of result and crucial date of eligibility is granted in respect of Personal Assistants promoted through Stenographer Grade 'C' Limited Departmental Competitive Examination 2014 to make them eligible for appearing in the examination for the year 2019. Further, relaxation of 11 months to the requisite 5 years gap between the date of results and crucial date of eligibility is granted in respect of Personal Assistants promoted through Stenographers Grade 'C' Limited Departmental Competitive Examination 2015 to make them eligible for appearing in the examination for the year 2020.	Category VII

	(ii) Grade C officers who are on deputation to ex-cadre post shall be eligible to be admitted to the examination if they are otherwise eligible. Provided that it shall not apply to a Grade C officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on “transfer” and does not have lien to Grade C. For Select List Year 2021: (i) Length of Service: Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants' Grade and shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University, on the crucial date. Provided that if he/she had been appointed to the Personal Assistant Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service on the results of a competitive examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than three years before the crucial date and he/she should have rendered not less than two years approved and continuous in that grade on the crucial date. (ii) Personal Assistants who are on deputation to ex-cadre post with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible: Provided that the Personal Assistant who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on ‘transfer’ and does not have a lien in Personal Assistant grade shall not be eligible to be admitted to the examination.	
Personal Assistants in Employees' State Insurance Corporation	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants Grade in Employees' State Insurance Corporation	Category IX

Note 1 - Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This, however, does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on “transfer” (whether they have a lien or not) in their respective Grades and Services referred to in Column 1(except Category-VII).

In respect of Category IV, if an official tenders technical resignation and rejoins his/her substantive post during the lien period, the period spent in another Department which he/she had joined after submitting his/her technical resignation will not count for qualifying service for appearing in PS LDCE.

Note 2 - Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Category V.

Note 3- All the candidates expecting completing requisite eligibility given above on crucial date can apply for the examination.

4. After the notification of the rules of the examination in the Gazette of India by the Department of Personnel & Training and publication of Notice of Examination by the Commission, a candidate shall have to fill in the Application Form on-line on the website of the Commission and the hard copy of the same be routed, through proper channel, after due verification/authentication of the information furnished by the candidate in his/her application form from his/her service records by the cadre unit concerned, to the Cadre Controlling Authority of the participating service concerned for determination of the eligibility of the candidate and

onward transmission of the application of the eligible candidate to the Commission. The Scrutiny of the application for determining eligibility of a candidate, with reference to the eligibility conditions stipulated in these rules, shall be done by the Cadre Controlling Authority of the participating service concerned.

5. Notwithstanding anything contained in rule 4, the decision of the Commission with regard to acceptance, or otherwise, of the application of a candidate, for admission to the Examination, shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

- (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely:-
 - a. Offering illegal gratification to; or
 - b. Applying pressure on; or
 - c. Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) impersonation, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or
- (v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
- (vi) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vii) resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely:-
 - (a) obtaining copy of question paper through improper means;
 - (b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
 - (c) influence the examiners; or
- (viii) being in possession of or using unfair means during examination, or
- (ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the script(s), or
- (x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the commission for the conduct of their examination, or
- (xii) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiv) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - (a) to be disqualified by the Commission from the Examination held under this Rules for which he/she is a candidate, and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period-
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them ;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-
 - i. giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and
 - ii. taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

8. Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (i) to (xiii) above render himself liable to action in terms of the clause (xiv).

9. (i) After the examination, candidates shall be considered for vacancies for three years i.e. 2019, 2020 and 2021 in Private Secretary Grade subject to their eligibility for the any of the years and will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying standards for each paper/part of the examination as decided by the Commission. However, the results shall be declared separately to ensure that if vacancies remain unfilled in any of the years (i.e. 2019, 2020 and 2021), the same are carried forward to next vacancy year for Category IV, V and VII.

Year wise and Category wise merit lists for inclusion in the respective Select List will be based on the number of vacancies and candidate's merit and choice (preference of year and category, as applicable) as indicated by the candidate and fulfilment of all other eligibility conditions. The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

Where a candidate would have otherwise qualified on the basis of aggregate merit/marks in more than one year of consideration, he will be placed in the appropriate Select List Year on the basis of his/her merit and subject to vacancy position and other eligibility conditions. If a candidate's name is included in the Select List for a particular year, his/her name will not be considered for inclusion in other list(s).

Vacancies remaining unfilled in any of the years **(2019, 2020 and 2021)** due to non-availability of suitable/qualified candidates, will be carried forward to the next Vacancy year for Category IV, V, VII, and IX. This provision will not be applicable for Category VI. In the case of candidates appearing for Category IV, the unfilled vacancies will be carried forward in terms of Proviso to Rule 10(1) of CSSS Rules, 2010. In case of candidates appearing for category V, only vacancies reserved for SC/ST/Persons with Benchmark Disability (PwBD) Category candidates remaining unfilled in the year due to non-availability of selected /qualified candidates will be carried forward to the next examination.

(ii) The final selection of the candidates including candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/16/2019-Estt. (Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/2011.

iii) The final selection of the PwBD candidates for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/01/2020-Estt. (Res.-II) dated 17.05.2022

(iv) The result is prepared on the basis of the following methods:

(A) Rounding Off Marks:

Marks obtained by the candidates shall be rounded off up to two decimal digits, at all stage(s) of the examination, by applying the standard rounding off principle, wherever applicable. Accordingly, while applying the Tie Breaking Principles, the rounded off marks up to two decimal digits shall be considered for resolving all tie cases.

(B) Tie Breaking Principles:

- (a) If the marks in the aggregate (Final Marks) are equal, the candidate securing more marks in the written total will be ranked higher;
- (b) If the marks at (a) above are equal, the candidate securing more marks in "Paper-II : Procedure of Practice in the Govt. of India Secretariat and attached Offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services" and "Paper-III : Noting and Drafting, Precis Writing" put together will be ranked higher;
- (c) If the marks at (a) and (b) above are also equal, then the candidate securing more marks in "Paper-III, i.e., Noting & Drafting, Precis Writing" will be ranked higher.
- (d) If the marks at (a), (b), (c) above are also equal, then the candidate younger in age will be ranked higher; and
- (e) In cases where a tie persists even after applying the above tie breaking principles, it will be resolved at the discretion of the Commission.

Note: - Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this Examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' (whether they have a lien or not) in the Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'/ Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

[F. No. 4/1/2024/CS.II(A)]

J ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand test in Hindi or English at 100 w.p.m.

Note 1: All the candidates competing for participating Categories will be required to take **qualifying shorthand test** at the time as may be decided by the Commission. However, evaluation of record of service will be done of only those candidates who qualify both in the written examination as well as in the Shorthand Test.

Note 2: Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on Computers (PCs) which will be provided at the Examination centre (New Delhi) by the Commission.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks of candidates:-

(i) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination and the shorthand test as may be fixed by the Commission in their discretion.

Note 1: Marks obtained in evaluation of record of service (i.e. APARs of the officers available to the Assessment Board at the time of its meeting) will be counted for ranking. Once the APARs have been evaluated by the Assessment Boards, no request for its reassessment will be entertained under any circumstances including a change in APAR grading, etc. at a subsequent date.

Note 2: There shall be a minimum of 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service. Therefore, such candidates who obtain less than 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service will not be considered for ranking.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be as follows:--

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services.	Objective	150	2 Hrs.
3	Noting and Drafting, Precis writing	Subjective	200	3 Hrs.
	Evaluation of record of Service		100	
	Total Marks		600	

3. **Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)**

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers/test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in relevant column of on-line Application Form; otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. The shorthand test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute of ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 40/55 minutes.

7. (i) Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. The Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure – III.

(ii) The candidates have discretion of opting for their own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Annexure-II (for candidates having 40% disability or more) and Annexure-IV (for candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing).

(iii) The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

(iv) The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, this facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-III.

(v) Facility of Scribe and/or Compensatory time to eligible candidates will be provided for written exam only, if desired by them.

Note (1): The eligibility conditions of a scribe and the conduct of scribe inside the examination hall and the manner in which and extent to which the scribe can help the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in writing the Stenographers' (Gr.B/Gr.I) LDCE shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

Note (2) : The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows :—

Better eye Best Corrected	Worse eye Best Corrected	Per Cent Impairment	Disability category
1	2	3	4
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0
	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60 Or Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or heminaopia involving macula	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60 Or Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Less than 3/60 to 1/60 Or Visual field less than 10 degree around centre of fixation	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)

Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	100%	IV b (Blindness)
---	---	------	------------------

Note (3) : The concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

8. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The Commission has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

12. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering Paper - III.

Annexure-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs.....
(name of the candidate with benchmark disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o
....., a resident of (Village/District/State) and to state
that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/

Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR).

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

(To be filled by the candidates online to the Commission)

I, a candidate with
(name of the disability) appearing for the (name of the
examination)bearing Roll No at (name of the centre) in the
District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is.....In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place :

Date :

Annexure-III**Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing**

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate), S/o / D/o, a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged.....yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic/PMR Specialist	Clinical psychologist/Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer Chairperson				

Name of Government Hospital / Health Care Centre with seal

Place :

Date :

Annexure-IV**Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing**

I....., a candidate with
 (nature of disability/condition) appearing for the (name of the
 examination) bearing Roll No..... at (name of the centre) in the
 District, (name of the state). My educational
 qualification is

2. I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe
 for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found
 that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to
 the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :

SCHEDULE**Syllabi for examination**

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES
 WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF
 NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER – I

The paper will cover subjects of interest and importance in the present day. Questions will be set to test
 knowledge of the broad salient features of the Five Year Plans, Indian Economy and major Developmental Schemes
 as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected:

- I. The principles of the Constitution of India
- II. Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Rajya Sabha
- III. The organization of the machinery of the Govt. of India, Designation and allocation of subjects between
 Ministries, Departments and Attached & Subordinate Offices and their relation inter se.
- IV. RTI Act, 2005.

PAPER - II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of
 India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct
 Rules, Leave Rules, TA Rules etc. will be tested. A list of Reference Books (which are however not exhaustive) are
 recommended -

(for Category IV and IX)

1. Manual of office procedure (latest edition)
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs. (for Category IV only)
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Compilation of the General Financial Rules, (Revised and Enlarged).
10. Delegation of Financial Power Rules.

(for Category V)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the I.S.T.M.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
7. Compilation of the General Financial Rules (Revised and enlarged).
8. Delegation of Financial Power Rules.
9. Indian Foreign Service (PLCA) Rules.
10. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
11. Assisted Medical Attendance Schemes.
12. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) rules.

(for Category VI)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Financial Regulations Part I (Revised Edition).

(for Category VII)

1. Manual of Office Procedure issued by the Min. of Railways (Railway Board).
2. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
3. Indian Railway Admn. and Finance (excluding Chapters V, VI, VIII & IX).
4. Indian Railway Financial Code Vol. I (excluding Chapter II and VI).
5. Indian Railway Establishment Code Vol. I.
6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.
7. The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1968.

PAPER – III

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and précis from a passage.